मुख्यमंत्री ने राजस्थान समिट में हुए विभिन्न एम.ओ.यू. की समीक्षा बैठक की

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निवेशकों की अपेक्षाओं की पूर्ति हमारी जिम्मेदारी है

जयपुर, 13 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर बनाना हमारी सरकार का लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हस्ताक्षिरत एमओयू की समयबद्ध क्रियान्विति मील का पत्थर साबित हो रही है। समिट के अन्तर्गत, लगभग 37 लाख करोड़ रूपये के एमओयू हुए हैं, जिनमें से 3 लाख करोड़ रूपये के निवेश समझौते धरातल पर भी उतर चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संबंधित निवेशकों से निरंतर संवाद कर उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करें।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान समिट में पर्यटन, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वस्त्र एवं परिधान, ऑटोमोबाइल तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) क्षेत्र में हस्ताक्षिरत एमओयू की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला कलैक्टर निवेशकों द्वारा इच्छित जमीन के आवंटन के लिए त्वरित निर्णय लें।

साथ ही, निवेशकों को जमीनों के सभी संभव विकल्पों का मौका मुआयना भी कराएं।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिये कि जिला कलैक्टर बेहतर सामंजस्य के साथ एम.ओ.यू. की क्रियान्विति को सुनिश्चित करें।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव, ढाणी से लेकर कस्बों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ ीकरण हमारी सरकार का प्रमुख ध्येय है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में युवाओं के लिए भी कैरियर के सुनहरे अवसर हैं।

मुख्यमंत्री ने ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता के कारण वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता बढ़ ती जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइज़िंग राजस्थान समिट में हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि जिला कलैक्टर निवेशकों को जमीनों के सभी संभव विकल्पों का मौका मुआयना भी कराएं।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत एवं विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी तथा संबंधित निवेशक उपस्थित रहे। साथ ही, विभिन्न जिला कलैक्टर वीसी के माध्यम से जुड़े।

70 देशों के राजनयिकों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी

नयी दिल्ली, 13 मई। भारत ने 70 देशों के राजनयिकों को आज यहां ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और पाकिस्तान द्वारा चलाये गये दुष्प्रचार का भी पर्दाफाश किया।

एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने मंगलवार को यहां बताया कि रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डी एस राणा ने भारत-पाकिस्तान संबंधों में नए मानदंड स्थापित करने वाले ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के बारे में जानकारी दी।

- **वार्ता में भारत ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार का पर्दाफाश किया।**

उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में नए युग के युद्ध में सैन्य श्रेष्ठता के माध्यम से भारत की शक्ति और राष्ट्रीय संकल्प का प्रदर्शन किया गया।

बातचीत के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों की युद्ध प्रभावशीलता के साथ संयुक्तता और एकीकरण के माध्यम से हासिल समन्वित बल प्रयोग पर भी प्रकाश डाला गया। उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा चलाए जा रहे भारत विरोधी दुष्प्रचार अभियान और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता पर इसके प्रभाव का की भी जानकारी दी।

जस्टिस बी.आर. गवई आज सीजेआई पद की शपथ लेंगे

सीजेआई की कुर्सी तक पहुँचने वाले वे अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्ति हैं

नयी दिल्ली, 13 मई। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बुधवार (14 मई) को उच्चतम न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में यह एक उल्लेखनीय मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि वे पूर्व मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन के बाद अनुसूचित जाति समुदाय से न्यायपालिका में शीर्ष पद पर पहुँचने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। उनकी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के आज सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है। न्यायमूर्ति गवई को 24 मई, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। वह 23 नवंबर, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। वह प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, प्रमुख अंबेडकरवादी, पूर्व सांसद एवं कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके आर एस गवई के पुत्र हैं।

न्यायमूर्ति गवई ने नागपुर विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी की डिग्री ली इसके बाद 16 मार्च, 1985 को वकालत शुरू की थी।

- **जस्टिस के.जी. बालकृष्णन अनुसूचित जाति के पहले सदस्य थे जो सीजेआई बने थे।**
- **जस्टिस संजीव खन्ना मंगलवार को सीजेआई पद से सेवानिवृत्त हो गए और 14 मई को जस्टिस गवई को सीजेआई पद की शपथ दिलाई जाएगी।**
- **जस्टिस गवई विख्यात अंबेडकरवादी, पूर्व सांसद तथा कई राज्यों के राज्यपाल रहे आर.एस. गवई के पुत्र हैं।**

उन्होंने वर्ष 1987 से 1990 तक बम्बई उच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से वकालत की। उन्होंने वर्ष 1990 के बाद मुख्य रूप से संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में वकालत की।

न्यायमूर्ति गवई को 14 नवंबर, 2003 को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए थे। वह 12 नवंबर, 2005 को बम्बई उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने।

न्यायमूर्ति गवई ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुंबई में मुख्य पीठ के साथ-साथ नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में सभी प्रकार के कार्यभार वाली पीठों की भी अध्यक्षता की।

उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व महाधिवक्ता और बम्बई हाईकोर्ट के न्यायाधीश (स्वर्गीय) बैरिस्टर राजा एस भोंसले के साथ करियर की शुरूआत की हालांकि उन्होंने संक्षिप्त अवधि तक ही उनके साथ काम किया।

वे शीर्ष अदालत में संवैधानिक पीठ द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें नोटबंदी, अनुच्छेद 370, चुनावी बॉन्ड योजना और एससी/एसटी श्रेणियों के भीतर उप वर्गीकरण शामिल हैं। उन्होंने एससी/एसटी के बीच क्रीमी लेयर शुरू करने की पुरज़ोर वकालत की थी।

चौमूं में स्कॉर्पियो की टक्कर में चार की मौत

तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की कालाडेरा रोड पर हुई टक्कर में मोटर साइकिल सवार उछल कर 30 फीट दूर गिरे थे

चौमू / कालाडेरा, 13 मई। कालाडेरा चौमू सड़क मार्ग पर स्थित जयसिंहपुरा-गुवारड़ी पुलिया के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों की मौत हो गई तथा स्कॉर्पियो में सवार 2 लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए। स्कॉर्पियो की स्पीड इतनी अधिक थी कि पहिया (टायर) निकलकर अलग हो गया। हादसा मंगलवार को शाम 5.30 बजे कालाडेरा थाना क्षेत्र में हुआ।

गोविन्दगढ़ सीओ राजेश जांगिड़ ने बताया कि, यूपी के नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी तेज स्पीड में कालाडेरा से चौमू की ओर आ रही थी। मोटरसाइकिल सवार चौमू से कालाडेरा जा रहे थे। कालाडेरा चौमू सड़क मार्ग पर स्थित जयसिंहपुरा-गुवारड़ी के पास स्कॉर्पियो ने दो मोटरसाइकिलों पर 4 युवकों को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार उछलकर 30 फीट दूर जा गिरे। चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो बेकाबू होकर सड़क से करीब 50 फीट दूर गड्ढे में जाकर पलट गई। स्कॉर्पियो बुरी तरह डैमेज हो गई। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। सड़क पर लम्बा जाम लग गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलों को साइड में करवाया और क्रेन की मदद से स्कॉर्पियो गाड़ी को हटाकर पुलिस थाने भिजवाया गया। चारों शवों को चौमू के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। कालाडेरा थाना क्षेत्र के अनोपपुरा के अमित मीणा पुत्र राजेश मीणा उम्र 20 वर्ष और अजय शर्मा, पुत्र सीताराम शर्मा उम्र 24 वर्ष के परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवा कर मृतकों के शवों को परिजनों को सौंप दिया। दूसरी मोटरसाइकिल सवार योगेश बुनकर पुत्र पुरणमल बुनकर निवासी जीणमाता नगर रामपुरा सेवापुरा थाना दौलतपुरा जिला जयपुर शहर, पूरण मल पुत्र लच्छूराम जाति बुनकर निवासी जीणमाता नगर रामपुरा सेवापुरा थाना दोलतपुरा जिला जयपुर शहर, के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। इनके परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जायेगा। हादसे में स्कॉर्पियो सवार गंभीर रूप से घायल दो लोगों को चौमू के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे की जानकारी मिलने पर चौमू विधायक शिखा मील बराला व पूर्व विधायक रामलाल शर्मा अस्पताल पहुंचे और जानकारी ली।

- **गोविन्दगढ़ सी.ओ. के अनुसार यूपी की स्कॉर्पियो कालाडेरा से चौमूं आ रही थी, जब जयसिंहपुरा-गुवारड़ी पुलिया पर यह टक्कर हुई। स्कॉर्पियों में बैठे दो व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हैं।**

जिंदा बम प्रकरण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अन्य को मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर उन्हें भी दोषमुक्त किया था। इसके बावजूद भी समान मामले में विशेष न्यायालय ने गत 8 अप्रैल को याचिकाकर्ता सहित तीन अन्य को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। याचिका में इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि जिंदा बम का मामला मूल मामले से अलग नहीं है। घटना में किसी तरह की जनहानि भी नहीं हुई है। उस पर आरोप था कि उसने धमाकों के बाद टीवी चैनल को ईमेल भेजकर जिम्मेदारी ली थी। समान आरोप से विशेष न्यायालय ने उसे बरी कर दिया था। ऐसे में अब उसे जिंदा बम के मामले में सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए विशेष न्यायालय के आदेश को रद्द कर उसे दोषमुक्त किया जाए। मामले पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है।

गौरतलब है कि 13 मई, 2008 को शहर में विभिन्न स्थानों पर कुल 8 बम ब्लास्ट हुए थे। चांदपोल हनुमान मंदिर के पास एक बम जिंदा मिला था। मामले में विशेष न्यायालय ने 18 दिसंबर, 2019 को शाहबाज हुसैन को बरी करते हुए शेष चार अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने मार्च 2023 को चारों आरोपियों की सजा को रद्द कर दिया था।

भारत-पाक युद्ध को अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दर्शकों की रुचि और प्रासंगिकता। ज्यादातर पश्चिमी दर्शकों के लिए दक्षिण एशिया आज भी भौगोलिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से दूरस्थ लगता है। न तो यहाँ प्रत्यक्ष पश्चिमी सैन्य हस्तक्षेप है, और न ही आर्थिक दृष्टि से कोई बड़ा प्रभाव। इसलिए पश्चिमी मीडिया की संपादकीय टीमों को लगता है कि इस क्षेत्र की खबरें उनके पाठकों और दर्शकों से जुड़ाव नहीं बना पाएंगी। जब मिसाइलें चलती हैं तो एक छोटी सी रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र या अमेरिका का कोई बयान, और फिर चुप्पी।

विडंबना यह है कि न्यूक्लियर डिटरैंस (परमाणु निरोध) का अस्तित्व ही मीडिया के इस रुख का कारण है। संपादक यह मानकर चलते हैं कि दोनों पक्ष युद्ध से पहले ही पीछे हट जाएंगे, जैसा कि अतीत में होता आया है। लेकिन यह मान्यता आज की बदलती परिस्थितियों में खतरनाक साबित हो सकती है। आज की राजनीति, सोशल मीडिया से प्रेरित राष्ट्रवाद, और धुंधले युद्धों के बीच, गल्तियाँ करने की गुंजाइश कहीं ज्यादा बढ़ गई है।

अंत में आता है, इण्डिया पैराडॅक्स। एक उभरती आर्थिक शक्ति और पश्चिम की इंडो-पैसिफिक रणनीति में अहम भागीदार होने के कारण ग्लोबल मीडिया में भारत एक जटिल स्थान पर है। प्रमुख मीडिया संस्थान, जो दक्षिण एशियाई पाठकों को ध्यान में रखते हैं, भारत की आलोचना करते हुए भी सावधानी बरतते हैं, ताकि पाठकों तक उनकी पकड़ बरकरार रहे और उन्हें डिजिटल प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़े।

नतीजा क्या है?

एक ऐसी कहानी, जो वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है, उसे कभी-कभी तो किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी के तलाक या किसी वारयरल वीडियो से भी कम तवज्जो मिलती है।

अगर अकल्पनीय घटना घटित हो जाए, अगर किसी गलती से एक बड़ा युद्ध शुरु हो जाए, तब शायद पश्चिमी मीडिया हड़बड़ाकर ब्रेकिंग न्यूज दिखाना शुरु कर दे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, उस तरह की पत्रकारिता के लिए, जो जनमत तैयार कर सकती थी, कूटनीति को प्रभावित कर सकती थी, या शायद संकट को टाल सकती थी।

एक ऐसी दुनिया में, जहाँ धारणाएं नीतियाँ तय करती हैं और सार्वजनिक दबाव निर्णयों को प्रभाति करते हैं, वहाँ इस सुस्ती को केवल पत्रकारिता की चूक नहीं, एक रणनीतिक दृष्टिहीनता कहा जा सकता है।

'ऑपरेशन सिंदूर अब भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी पर्दाफाश कर दिया जिसमें इस प्रणाली को नष्ट करने का दावा किया गया था।

वायु यौद्धाओं के निरंतर भारत माता की जयघोष के बीच मोदी ने जमकर सराहना की और कहा कि उनकी वीरता और गौरव की कहानी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब दुनिया भर में सुनाई दे रही है।

मोदी ने एक्स पर लिखा, आज सुबह, मैं एएफएस आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक उन लोगों के साथ समय बिताना बहुत ही विशेष अनुभव था। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा, जो हमारे देश के लिए सब कुछ करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आपरेशन सिंदूर अब भारत का न्यू नॉर्मल है। हमने तीन सूत्र तय कर दिये हैं । यदि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके और शर्तों पर तथा अपने समय पर जवाब देंगे । दूसरा भारत न्यूकलियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। भारत आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखता और अब दुनिया भी भारत के इस नये रूप को देखते हुए आगे बढ़ेगी।

केन्द्र के आश्वासन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था, जिसका उल्लंघन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि आश्वासन के बावजूद, पंजीकृत वक्फ संपत्ति को नष्ट कर दिया गया।

यह अवमानना याचिका उत्तराखंड के महफूज अहमद ने दायर की है। देहरादून के रहने वाले याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राज्य प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के दरगाह को ढ हा दिया है, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधित कानून को लागू नहीं करने का आश्वासन दिया था।

याचिका में यह भी कहा गया है कि यह दरगाह 1982 में सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ लखनऊ के साथ पंजीकृत थी। याचिका में दावा किया कि दरगाह पिछले 150 वर्षों से धार्मिक महत्व का एक पूजनीय स्थल रहा है और संपत्ति की वैधता साबित करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज उनके पास हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की गई एक सामान्य शिकायत के आधार पर की गई थी।

न्यायिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए होमगार्ड की नियुक्ति के साथ ही सीसीटीवी लगाए गए हैं। अदालत ने कहा कि झारखंड में एडीजे स्तर के अधिकारी की गोली मारकर हत्या हुई है। इस पर एजी ने कहा कि यहां भी ऐसी घटना हुई थी। जोधपुर हाईकोर्ट में समान मामले में जनहित याचिका चल रही है। उसके आधार पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर कार्रवाई की जा रही है। इस पर अदालत ने कहा कि अब तक मामले में जो कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी अदालत में पेश की जाए।

गौरतलब है कि न्याय शिखा अपार्टमेंट में एक महिला न्यायिक अधिकारी के आवास पर चोरी की घटना हुई थी।

इसके बाद सामने आया था कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं, जबकि उस क्षेत्र में करीब 150 अधिकारी रहते हैं। मामले में राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ ने भी सीजे को पत्र लिखा था।

भाजपा को शीघ्र ही जवाब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डॉनल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान दोनों को "दो महान देश" कह कर एक ही स्तर पर रख दिया, लेकिन मोदी न तो इसका प्रतिवाद कर पाए और न ही अमेरिकी राष्ट्रपति को तथ्यों का सही विवरण दे पाए। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, मोदी ने तीन दिवसीय युद्ध के विवादास्पद मुद्दों का कोई ज़िक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि भविष्य में पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा।

सवाल यह है कि जब हालात अनुकूल थे, इसी समय क्यों नहीं? जब सेना को पूरी तरह तैयार कर दिया गया था और "फाइनल स्ट्राइक" के लिए कहा गया था, तो अचानक सेना को क्यों रोक दिया गया और पीछे हटने का आदेश दे दिया गया?

देशवासी पूछ रहे हैं: आख़िर चल क्या रहा है, प्रधानमंत्री जी? क्या हुआ उस गर्जना का, जिसमें कहा गया था कि वे आतंकवादियों का पीछा "दुनिया के अंत तक" करेंगे?

पहलगाम में खुफिया तंत्र की विफलता को दबा दिया गया है तो गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही और ज़िम्मेदारी कहाँ है?

वह प्रचार भी ध्वस्त हो गया कि भारत के पास दुनिया भर में ढेरों मित्र और शुभचिंतक हैं, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, उस समय कोई भी देश खुलकर भारत के साथ नहीं आया, जबकि पाकिस्तान को चीन और तुर्की जैसे देश खुलकर समर्थन दे रहे थे।

मोदी सरकार को आत्ममंथन की सख्त जरूरत है, केवल दिखावटी स्पष्टीकरण और क्षति-नियंत्रण ही अब पर्याप्त नहीं हैं।

पाक उच्चायोग का अफसर भारत से निष्कासित

नयी दिल्ली, 13 मई। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को अवांछित घोषित करते हुए 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा है।

विदेश मंत्रालय ने आज यहां बताया कि भारत सरकार ने नयी दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले एक पाकिस्तानी अधिकारी को भारत में उसकी आधिकारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों में शामिल होने के लिए गैर-आकलन व्यक्ति घोषित किया है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को आज इस आशय का आदेश जारी किया गया।

'भारतीय सेना और हथियारों की ताकत ने पाकिस्तान को मजबूर किया, युद्ध रोकने के लिए'

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए कहा कि इसमें ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी

नयी दिल्ली, 13 मई। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के पीछे परमाणु युद्ध की आशंका और व्यापार बंद करने की धमकी को कारण बताये जाने को आज खारिज कर दिया तथा जम्मू कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की मंशा को भी अस्वीकार कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में यह स्पष्ट किया कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला पाकिस्तान की पहल पर दोनों देशों ने द्विपक्षीय रूप से लिया है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। यह सिर्फ भारतीय सैन्य कार्रवाई की ताकत से संभव हो पाया। जायसवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों पर पूछे गये सवालों के जवाब में कहा कि 07 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक, भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच सैन्य स्थिति पर बातचीत होती रही। इनमें से किसी भी चर्चा में व्यापार संबंधी कोई मुद्दा नहीं उठा।

- **प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 7 मई को ऑपरेशन शुरु होने से 10 मई को गोलीबारी बंद करने की सहमति बनने तक अमेरिका से सैन्य स्थिति पर बातचीत हुई थी, ट्रेड का मुद्दा नहीं उठा था।**

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा परमाणु युद्ध संबंधी आशंका के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से पारंपरिक रूप से हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी 10 मई को बैठक करेगी। लेकिन बाद में उन्होंने इसका खंडन किया।

भारत-पाक युद्ध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

युद्धपोत और वो अब अमेरिका की वैश्विक शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। एक महाशक्ति चुनौती में है और एक नई महाशक्ति उसे हटाकर उसकी जगह लेने की तैयारी में।

अब इन दोनों स्थितियों की तुलना कीजिए: एक ओर है मध्ययुगीन युद्ध, और दूसरी ओर एक आर्थिक युद्ध, जो धीरे-धीरे भू-राजनीतिक संघर्ष में बदल रहा है। दो अलग अवधारणाएं। दो अलग युद्ध। लेकिन दोनों ही उतने ही खतरनाक हैं।

क्योंकि यह मध्ययुगीन युद्ध अब तीर-तलवार और भाले से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि इक्कीसवीं सदी के अत्याधुनिक घातक हथियारों से लड़ा जा रहा है। इसी विशेष संदर्भ में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दुविधा यह रही कि उन्हें भारत की स्थिति को, बिना पूरी सच्चाई बताए, समझाना पड़ रहा था। वे देशवासियों को आश्वस्त कर रहे थे कि युद्धविराम कोई बाहरी निर्णय नहीं था। और वे बाहरी दुनिया को यह संदेश दे रहे थे कि भारत के पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता है और भारत आज भी, और आगे भी, अपने निर्णय खुद ही लेगा।

भाजपा ग्यारह...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। युद्धिवराम के बाद भाजपा की पहली प्रेस वार्ता में, पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस नष्ट हुए तथा 100 आतंकी और 50 सैनिक मारे गए। 13 से 23 मई तक चलने वाली तिरंगा यात्रा के दौरान, भाजपा देशभर में जुलूस निकालेगी, जिनमें पार्टी कार्यकर्ता और प्रमुख नागरिक तिरंगा लेकर शामिल होंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के साथ-साथ, सशस्त्र बलों की वीरता और दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित करेगा।

शशि थरूर किसके प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के या ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और तत्काल युद्धविराम" के लिए राजी किया है। सोमवार को उन्होंने यह दावा किया कि उनकी (ट्रंप) शर्तों पर उनके (भारत-पाकिस्तान) के सहमत न होने की स्थिति में, उन्होंने इन युद्धरत पड़ोसियों को, उनके साथ व्यापार न करने की, धमकी दी थी।

हैरान करने वाली बात यह है कि थरूर, सरकार का हिस्सा तो है नहीं, कि उन्हें नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच समझौते के बारे में हुई बातचीत की विस्तृत जानकारी हो, इसके बावजूद उन्होंने पार्टी के रुख की परवाह न करते हुए, ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड कहने का साहस किया।

मोदी सोमवार की शाम को उस समय एकाएक आक्रोशित नजर आये, जब उन्होंने घोषणा की कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा, लेकिन उन्होंने ट्रंप द्वारा उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने की उनकी भूमिका पर जोर दिये जाने तथा कश्मीर मुद्दे के समाधान की पेशकश के उनके दावे पर स्थिति साफ नहीं की।

थरूर ने यह माना कि संभवत: अमेरिकन राष्ट्रपति को या तो सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया, या फिर वे ब्रीफिंग को समझ नहीं पाये। उन्होंने ट्रंप को सलाह दी कि वे दक्षिण एशियाई मामलों पर अपने असिस्टैंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पॉल कपूर, जिनकी नियुक्ति की अभी अमेरिकन सीनेट ने पुष्टि भी नहीं की है, की बात को ध्यान से सुना करें। जो भी हो, यह तथ्य, कि ट्रंप ने अपना एक ही दावा तीन बार दोहराया था, थरूर के कथन पर संदेह पैदा करता है।

ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा किये जाने के बाद, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी तथा सुषमा स्वराज के वे वीडियो सामने आये हैं, जिनमें इन नेताओं ने कश्मीर सहित, भारत के अंदरूनी मामलों में किसी तीसरे पक्ष की दखलन्दाजी को खारिज किया है।

थरूर ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि पिछले सप्ताह दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ने के दौरान, अमेरिका ने किसी प्रकार की कोई मध्यस्थता की थी, जिसके बारे में विपक्ष ने प्रश्न खड़े करना शुरू कर दिया है।

थरूर ने कहा कि हो सकता है कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हमारे विदेश मंत्री से फोन पर बात की हो। और उसके बाद, पाकिस्तान से बात की हो, और पाकिस्तान से कह दिया हो कि देखिये, अगर आप (पाकिस्तान) ऐसा नहीं करेंगे तो वे (भारत) भी वैसा नहीं करेंगे। यह तो कोई मध्यस्थता नहीं है। थरूर ने कहा, "मध्यस्थता तो तब होती, जब जयशंकर ने रूबियो को फोन करके कहा होता कि क्या आप पाकिस्तान से ऐसा कह देंगे? और मैं ऐसा नहीं मानता कि भारत ने ऐसा किया होगा।"

थरूर इस मुद्दे पर कोई ठोस जानकारी प्राप्त किये बिना ही यह सब कुछ मान रहे हैं।

ये ऐसे प्रश्न हैं, जिनके उत्तर भारत सरकार को देने चाहिए, जैसे पहलगाम हमले में शामिल उन चार आतंकियों का क्या हुआ, जिनमें से तीन की तो भारतीय एजेंसियों ने पहचान कर ली थी।

थरूर ने कहा कि भारत को कम से कम एक आतंकी को तो जीवित पकड़ना ही चाहिए, जिससे यह मालूम किया जा सके कि यह हमला उन्होंने किसके निर्देशों पर किया था। थरूर ने यह सुझाव भी दिया कि इस बात का इंतजार किया जाना चाहिए कि चार दिन तक चली लड़ाई के दौरान भारत को हुए नुकसान से संबंधित प्रश्नों के जवाब मोदी सरकार कब, कहां और कैसे देने का निर्णय लेती है।

एक धीर-गंभीर राजनैतिक टिप्पणीकार का मानना है कि थापर से हुई बातचीत में थरूर के अनुमान उनकी पार्टी को बेचैनी की स्थिति में लाने की दृष्टि से सोचे समझे तथा नपे-तुले प्रतीत हुए। ऑपरेशन सिंदूर से एक सप्ताह पहले, थरूर ने मोदी के साथ एक मंच साझा किया था। उस समय मोदी ने चुटकी ली थी कि कांग्रेस सांसद की (इस मंच पर) उपस्थिति से "कुछ लोगों की नींद उड़ जायेगी।"

थरूर स्वयं को एक "क्लासिक लिबरल" के रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा कई अवसरों पर उनके विचार कांग्रेस के अधिकृत रूख के विपरीत रहे हैं, जैसे मुश्किल से तीन महीने पहले एफ-35 स्टेल्थ एयर क्राफ्ट की खरीद के मामले में।

नेहरू के "पंचायती राज" से उनके विरोध के अलावा, केरल में उनके मुख्य राजनैतिक विरोधी वामपंथियों के बारे में उनके विचार भी ऑन रिकॉर्ड हैं। केरल कांग्रेस के नेतृत्व से उनकी दूरी से सभी परिचित हैं।

कुछ समय पहले, एक अन्य चैनल को दिये एक अन्य इंटरव्यू में, थरूर इस प्रश्न के सीधे उत्तर के कगार पर पहुंच गये थे कि क्या वे निकट भविष्य में भाजपा में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा था, "नहीं, हर पार्टी की अपनी एक आस्था और इतिहास होता है। अगर किसी पार्टी की मान्यता आपके गले नहीं उतरती है, तो आपका उस पार्टी में शामिल होना ठीक नहीं है। लेकिन स्वतंत्र रहने का विकल्प तो हमेशा ही खुला हुआ है।"

क्या "स्वतंत्र होना" कांग्रेस को छोड़ने और भाजपा में शामिल होने से पहले का "मिड स्टॉप है?

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226